



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 01.12.2025

थाना हीमपुर दीपा के ग्राम मुबारकपुर कलां व पीतन औंधा व उमरी पीर में स्कूलों में आयोजित साईबर जागरूकता व यातायात कार्यक्रम के संबंध में।

आज दिनांक 01.12.2025 को दिसम्बर-2025 के अंतर्गत थाना हीमपुर दीपा के ग्राम मुबारकपुर कलां व पीतन औंधा व उमरी पीर में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु एक व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा उपस्थित 100-150 विद्यार्थियों, 5 शिक्षकगण एवं स्थानीय नागरिकों को यातायात नियमों, सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों, हेलमेट व सीट-बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साईबर क्राइम के विभिन्न रूपों, ऑनलाइन ठगी से बचाव, सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं तथा रिपोर्टिंग प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक कर साथ ही विद्यार्थियों से यातायात नियमों व साईबर सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे गए।

इस दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, ओवरस्पीडिंग से बचने, ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा पैदल चलने वालों की सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा वाहनों पर रिफ्लैक्टर लगाये गये, उपस्थित चालकों से यातायात नियमों का पालन कर अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की गई।

कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारीगण / कर्मचारीगण का विवरण-

- श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- मुन्नी राठी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 362 संगीता देवी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- मिशन शक्ति टीम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।







सुरक्षा आपकी, सकंल्प हमारा

यातायात के नियमों का पालन करें।

यातायात माह नवम्बर-2025



यातायात पुलिस

जनपद विभाग

पुलिस हेल्प
लाइन नम्बर
112

एम्बूलेन्स
नम्बर
108

महिला हेल्प
लाइन नम्बर
1090

गाइल हेल्प
लाइन नम्बर
1098

इंफिक्शन हेल्प
लाइन नम्बर
1073

►► शराब के नशे में वाहन न चलायें।

►► चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग करें।

►► वाहनों को नियमित रखान पर ही पार्क करें।

►► 18 वर्ष से कम आयु में वाहन चलाना वर्जित है।



डा. कृष्ण गोपाल सिंह

पुलिस अधिकारी, ताप / वायाया
विभाग

अभियंक (IPS)
पुलिस अधीकारी,
विभाग



साइबर क्राइम, उत्तर-प्रदेश

साइबर अपराध होने पर क्या करें

- वित्तीय साइबर अपराध होने पर तुरन्त 1930 पर कॉल करें और समस्त विवरण नोट कराएं अथवा
- किसी भी साइबर अपराध के लिए www.cybercrime.gov.in पर शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें अथवा
- अपने नजदीकी थाने पर स्थित साइबर सेल पर संपर्क करें।

REPORT ONLINE FINANCIAL FRAUD AT THE NATIONAL
CYBERCRIME HELPLINE NO

1930

FILE COMPLAINT OF ANY CYBERCRIME AT NCRP:
www.cybercrime.gov.in



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना शिवाला कलां

दिनांक 01.12.2025

थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 173/25 धारा
115(2)/352/351(2)/109/117(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)(V) एस0सी/एस0टी एक्ट में
वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.12.2025 को वादी अकिंत पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ने थाना शिवाला कलां पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रोहित तोमर पुत्र सुकके सिंह उर्फ लज्जाराम सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर 2.प्रशांत तोमर पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर द्वारा उसके व उसके परिजनों के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से वादी की माताजी को कार से टक्कर मारकर घायल कर दिया गया ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 173/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109/117(2) बी0एन0एस0 व धारा 3(2)(V) एस0सी/एस0टी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.रोहित तोमर पुत्र सुकके सिंह उर्फ लज्जाराम सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर 2.प्रशांत तोमर पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त कार (UP20H4426) सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

- 1.रोहित तोमर पुत्र सुकके सिंह उर्फ लज्जाराम सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।
- 2.प्रशांत तोमर पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अजित सिंह थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।
- 2- का0 272 हरित चौधरी थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।
- 3- का0 1998 विष्णु शर्मा थाना शिवाला कलां जनपद ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नगीना

दिनांक 01.12.2025

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0स0 251/25 धारा 351(3)/74/333 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 01.12.2025 को वादी द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ नेता पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 शेखसराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी गई ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0स0 251/25 धारा 351(3)/74/333 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

थाना नगीना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ नेता पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 शेखसराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अलाउद्दीन उर्फ नेता पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 शेखसराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. है0कां0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।





मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान प्रेस नोट – थाना मण्डावली

थाना मण्डावली क्षेत्रान्तर्गत मिशन शक्ति फेस 5.0 के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम काशीरामपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

आज दिनांक 01.11.2025 को "मिशन शक्ति" के पंचम चरण के अन्तर्गत थाना मण्डावली क्षेत्रान्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम काशीरामपुर मे "मिशन शक्ति जागरूकता अभियान" का आयोजन किया गया । कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलम्बन की भावना जागृत करना रहा ।

इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक गण, ग्राम प्रधान व गण मान्य व्यक्ति, महिलाओ को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाईन नम्बरों की जानकारी दी गयी:-

- 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन
- 1090 वूमेन पावरलाईन
- 181 वूमेन हेल्पलाईन
- 112 पुलिस आपातकालीन सेवा
- 102 गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस सेवा
- 108 सामान्य एम्बुलेंस सेवा
- 1098 चाईल्ड लाईन सेवा
- 101 अग्निशमन सेवा
- 1930 साईबर हेल्पलाईन

प्रतिभागियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति मे तत्काल सहायता प्राप्त करने तथा नारी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की तत्परता के विषय मे जागरूक किया गया।

❖ कार्यक्रम का विवरण

1. स्थान:- उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम काशीरामपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
2. आयोजक विभाग-शिक्षक गण, ग्राम के संप्रान्त व्यक्ति, आगनवाडी बच्चे व महिलाए आदि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3. कार्यक्रम थीम:- महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत विभिन्न हेल्पलाईन नम्बरों, साईबर अपराध की जानकारी व सुरक्षा हेल्पलाईन 1930 के बारे में जागरूक किया जाना ।
4. उपस्थिति:- शिक्षक गण-05 बालक/ बालिकाए – 70 कुल – 90

❖ कार्यक्रम मे सम्मिलि पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना मण्डावली, बिजनौर
2. है0का0 80 दीपक कुमार थाना मण्डावली बिजनौर
3. का0 249 मोनू कुमार थाना मण्डावली, बिजनौर
4. म0का0 714 मानसी गौड थाना मण्डावली, बिजनौर
5. म0का0 1763 पूजा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर







मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन



5.0

---0---